न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सांभर लेक

पीठासीन अधिकारी :– श्री प्रभुदयाल शर्मा आर0ए0एस0
प्रार्थना पत्र सं0 4/12
निर्णय दिनांक:– 03.07.2018

1. शान्तिदेवी पत्नि सागरमल
2. मंगलीदेवी पत्नि पोखरमल
   समस्त जाति जाटान नि0 भादवा तह0 फुलेरा जिला जयपुर राज0

प्रार्थीगण

बनाम

1. गुलाबदेवी पत्नि मोहरचन्द
2. भंवरीदेवी पत्नि दल्लाराम
3. गुल्लाराम पुत्र कानाराम
4. गुल्लाराम पुत्र कानाराम
5. बालूराम पुत्र कानाराम
6. चौथूराम पुत्र कानाराम
7. लालूराम पुत्र कानाराम
   समस्त जाति जाटान नि0 भादवा तह0 फुलेरा जिला जयपुर राज0
8. धीसा पुत्र धेना
9. रूडा पुत्र गुल्ला
10. बालू पुत्र काना
11. हनुमान पुत्र भूरा
12. लाला पुत्र भूरा
13. मोटाराम पुत्र भूरा
    समस्त जाति कुमावत नि0 भादवा तह0 फुलेरा जिला जयपुर राज0
14. नन्दसिंह पुत्र नारायणसिंह
15. किशोरसिंह पुत्र नारायणसिंह
16. बजरंगसिंह पुत्र नारायणसिंह
17. मोतीसिंह पुत्र गोपालसिंह
    समस्त जाति राजपूत नि0 भादवा तह0 फुलेरा जिला जयपुर राज0
18. रामादेवी पत्नि लालाराम
19. मानप्रकाश पुत्र लालाराम
20. प्रेमप्रकाश पुत्र लालाराम
    समस्त जाति कुमावत नि0 भादवा तह0 फुलेरा जिला जयपुर राज0
21. भगवानसिंह पुत्र मांगीलाल जाति दरोगा नि0 भादवा तह0 फुलेरा जिला जयपुर राज0
22. रामचन्द पुत्र रूघाराम जाति जाट नि0 भादवा तह0 फुलेरा जिला जयपुर

अप्रार्थीगण

उपखण्ड अधिकारी
सांभर लेक

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 128 लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट

निर्णय

Scanned by CamScanner

संक्षेप मे वाकयात इस प्रकार से है कि आराजी खं0नं0 69 रकबा 2 बीघा विस्वा, खं0नं0 70 रकबा 4 बीघा 9 विस्वा किता 2 कुल रकबा 7 बीघा 2 विस्वा ग्राम भादवा तह0 फुलेरा वर्तमान तहसील कि0रेनवाल जिला जयपुर राज0 मे त है। जो आवेदीकागण के कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजीयात है। वेदीकागण ने अपने कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजीयात खं0नं0 69 रकबा बीघा 13 विस्वा, खं0नं0 70 रकबा 4 बीघा 9 विस्वा किता 2 कुल रकबा 7 बीघा विस्वा वाकै ग्राम भादवा तह0 फुलेरा वर्तमान तहसील कि0रेनवाल जिला जयपुर ज0 के सीमाज्ञान बाबत तहसीलदार कि0रेनवाल के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था जिस पर अधीनस्थ पटवारी हल्का भादवा की रिपोर्ट ली जाकर श्रीमान् हसीलदार कि0रेनवाल ने आदेश क्रंमाक 111/246 दिनांक 26.04.11 को पटवारी ल्का भादवा को आवेदीकागण की उक्त आराजीयात का सीमाज्ञान कराये जाने बाबत् आदेश पारित किया गया जिस पर पटवारी हल्का ने दिनांक 27.06.11 को आवेदीकागण व पड़ौसी काश्तकारों को दिनांक 30.06.11 को सूचित कर पड़ौसी काश्तकारों की उपस्थिति में आराजीयात का सीमाज्ञान कर मौके पर पट्टिया गाड़ी जाकर आवेदीकागण का सीमाज्ञान करा दिया था। आवेदिकागण उक्त वर्णित आराजीयात के सर्वप्रथम खं0नं0 69 के पश्चिमी सीमा पर स्थित काकड़ के पत्थर से नक्शे की नाप से खं0नं0 70 की उत्तरी पश्चिमी कोना कायम किया फिर इस कोने से दक्षिण में जरीब चालकर इसके दक्षिणी पश्चिमी कोना कायम किया तथा खं0नं0 70 के उत्तरी पश्चिमी कोने से लाईन चलाकर खं0नं0 69 का उत्तरी पश्चिमी व इसके बाद पूर्वी उत्तरी कोने तय किये फिर इन कोनो से दक्षिणी पश्चिमी व पूर्वी दक्षिण कोना तय कर पत्थर गढ़वाये गये के पश्चात् अप्रार्थीगण की नियत में फितुर उत्पन्न हो गया तथा व आवेदीकागण को ओर तजात एवं भोली समझकर कब्जा करने की नियत से आवेदिकागण की आराजीयात के पटवारी कब्जा द्वारा कराये गये सीमाज्ञान एवं गड़वायी गयी पट्टियों को हटाकर सीमाज्ञान हटाकर कब्जा करने का असफल प्रयास किया आवेदिकागण ने अप्रार्थीगण को समझानें की कोशिश की तो अभ्रदता से पेश आये व झगड़ा फिसाद करने पर तत्पर हो गये इसलिए आवेदिका को माननीय महोदय के यहा आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 128 ले0रे0ऐ0 के प्रावधानों के तहत आवेदन पेश करना आवश्यक हुआ।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया। अप्रार्थीगण सं0 11, 12, 18, 19 की ओर से वकील श्री गौरव उपाध्याय ने व अप्रार्थी सं0 3 व 15 की ओर से वकील श्री महेन्द्रसिंह ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी सं0 21 के फौत होने पर कायम मुकामान का प्रा0पत्र पेश किया जो स्वीकार होने पर संशोधित शीर्षक पेश किया गया अप्रार्थी सं0 21 के कायम मुकामान की तरफ वकील श्री महेन्द्रसिंह ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी सं0 1 की ओर से अधिवक्ता उपस्थित हुए। अप्रार्थीगण का जवाब पेश न होने पर जवाब बन्द किया गया। प्रार्थी ने आर्डर 1 रूल 10 का प्रा0पत्र पेश किया जो स्वीकार होने पर संशोधित शीर्षक पेश किया गया। अप्रार्थी सं0 21/1 लगा0 21/4 की ओर से

खण्ड अधिकारी
सौंमर लेक

Scanned by CamScanner

वकील श्री लक्ष्मणसिंह ने वकालतनामा पेश किया। पक्षकारान वकीलों ने उपस्थित होकर प्रा0पत्र को स्वीकार करने हेतु सहमति प्रकट की अप्रार्थी सं0 2 के वारिसान को रिकोर्ड पर लिया गया।

न्यायालय ने वकील पक्षकारान की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया प्रार्थीगण ने अपनी आराजी की पत्थरगढ़ी बाबत यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है प्रार्थीगण ने अपनी आराजी का दिनांक 30.06.11 को नियमानुसार सीमाज्ञान करवा रखा है जिसकी फर्द मौका सीमाज्ञान पत्रावली में संलग्न है। ऐसी स्थिति में न्यायालय मुताबिक सीमाज्ञान प्रार्थीगण की आराजी की पत्थरगढ़ी की जाना न्यायोचित समझता है।

निर्णय

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू0राजस्व अधिनियम 1956 का राजस्व लोक अदालत की भावना से स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण की आराजी खं0नं0 69 रकबा 2 बीघा 13 विस्वा, खं0नं0 70 रकबा 4 बीघा 9 विस्वा किता 2 कुल रकबा 7 बीघा 2 विस्वा वाकै ग्राम भादवा तह0 फुलेरा वर्तमान तहसील कि0रेनवाल जिला जयपुर राज0की मुताबिक सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 30.06.11 के पत्थरगढ़ी किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। तहसीलदार कि0रेनवाल को उक्त निर्णय की पालना की तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 03.07.2018 को खुले न्यायालय में टंकण कराया जाकर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सांभर लेक

उप खण्ड अधिकारी
सांभर लेक

Scanned by CamScanner